



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

दिनांक....../.0.2../2015

पत्रांकः दी०द०उ०गो०वि०वि०/सम्बद्धता/२०१५/३०६ न सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला रनातकोत्तर महाविद्यालय

विषयः चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान

विषय में सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या शासन के पत्र संख्या सम्बंध 385ए/सत्तर-6-2013-2(280)/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 द्वारा चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्थे महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत महोदय. गृहविज्ञान विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालय के, शैक्षिक सत्र 2012—13 के परीक्षाफल एवं सामूहिक नकल में आरोपित न होने पर ही कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान की गयी है।

उक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 के अनुपालन में महाविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित सत्र 2012–13 का परीक्षाफल एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सत्र 2012–13 में परीक्षाफल

उपरोक्त शासन के पत्र में अंकित शर्त संख्या-1 में निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में तथा महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत 60 प्रतिशत से अधिक है। शपथ पत्र में दी गयी वचनबद्धता के आलोक में चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान विषय में माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा—37(2) के अधीन

दिनांक 01.07.2013 से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान की जाती है:--

शासन के पत्र संख्या सम्ब० 385ए / सत्तर—6—2013—2(280) / 2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 में उल्लिखित शर्तों के अधीन यह

संस्थान / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय

सम्बद्धता की शतें निरन्तर पूरी कर रहा है।

संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश 4108 / सत्तर-2-2007-2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर-2-2008- 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।

संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

संस्था परिसर को रैंगिंग मुक्त रखेगी।

संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनश्चित करेगी।

10. महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

भवदीय,

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

2. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक / उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य,, दी०द०उ०गो०वि०वि०,गो०।

उप कुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय।

गार्ड फाईल (सम्बद्धता)

कुलसचिव

ण्न्यकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पीठ औठ कालेज,गोर अपर

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur-273009

Dated11/02/2015

Letter: D.D.U.G.U./Affiliation/2015/3067

To,

Manager/Principal Chandrakanti Ramavati Devi Arya Mahila P.G. College Gorakhpur

Subject: Regarding affiliation and conducting class in Home Science subject under faculty of science faculty at graduation level to Chandrakanti Ramawati devi Arya Mahila P.G. College, Gorakhpur

Sir,

On the above mentioned subject, Government's letter no. 385A/70-6-2013-2(280)/2013 dated 20th August, 2013, has been issued to Chandrakanti Ramavati Devi Arya Mahila Post Graduate College, Gorakhpur for the subject of Home Science under the Faculty of Science at the graduation level. Under the self-financed scheme, prior permission for affiliation has been granted for the academic session 2013-14 from 01.07.2013, subject to certain conditions, only if the results of the academic session 2012-13 are not included in the examination and mass copying. In compliance with the condition no.-1 mentioned in the letter, the college has certified the results of the session 2012-13 by the Controller of Examinations.

The examination results and certificate of not being accused of mass copying have been presented, according to which the examination results in the session 2012-13 are more than 60 percent.

In compliance with the order specified in condition no.-1 mentioned in the above government letter and in the light of the commitment given in the affidavit submitted by the manager of the college, Chandrakanti Ramavati Devi Arya Mahila Post Graduate College, Gorakhpur has introduced Home Science subject under the Faculty of Science at the graduation level. In anticipation of the approval of the Honorable Executive Council, the Vice Chancellor, under Section 37(2) of the Uttar Pradesh State University Act, 1973 (as amended by the Uttar Pradesh State University and Amendment Act, 2007) from 01.07.2013 under the following conditions and restrictions: Affiliation is provided:-

- 1. This affiliation is subject to the conditions mentioned in the government's letter no. 385A/Seventy-6-2013-2 (280)/2013 dated August 20, 2013.
- 2. The institute/college will annually send a certificate to the Registrar of the University to the effect that the institute/college is continuously fulfilling the conditions of affiliation.
- 3.Institution Government Order No. 2851/Seventy-2-2003-16(92)/2002 dated July 02, 2003 and Government Order No. 4108/Seventy-2-2007-2(494)/2007 dated 17.10.2007 and Government Order No. 2112 /Seventy-2-2008- 2(494)/2007 dated May 09, 2008 and other relevant government orders issued from time to time in this regard.
- 4. If the institution does not ensure the completeness and continuity of the provisions/provisions mentioned in the statutes/acts of the university and the conditions and

प्राचार्या चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जौ० झालेज,गोरकपुर

standards set by the government and the university, then under the provisions of the Uttar Pradesh State University Act, 1973, the institution will be given the right to The action for withdrawal of affiliation will be taken as per rules.

5. The organization will not be run on a commercial basis.

6. The institution will ensure due compliance of all the orders issued by the government/university from time to time.

7. The institution will never admit more than the admission capacity prescribed by the University and will collect only the tuition and other fees prescribed by the Government/University from the students.

8. The institution will keep the premises free from vandalism.

9. The institution will ensure due compliance with the provisions/instructions given in the Act/Statute/Ordinance/Government Orders regarding the conduct of self-financed courses.

10 The college will complete 180 teaching days.

Yours sincerely

Registrar

Copy sent to the following for information and necessary action:

1. Principal Secretary, Higher Education Section 6, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

2. Director, Higher Education, Uttar Pradesh, Allahabad / Regional Higher Education Officer, Gorakhpur

3. Dean, Faculty of Science / Finance Officer / Controller of Examinations / Deputy Registrar, Examination General, D.U. Govt., Goa.

4. Sent to the Deputy Registrar, Committee with the intention to present it in the upcoming meeting for the approval of the Honorable Executive Council/Registrar Office.

5. Guard file (Affiliation)

Registrar

न्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरअपुर